

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 04 / 2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

सतीशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी कोटड़ा तहसील व जिला बारां

(अप्रार्थी)



रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर, एड.

(अप्रार्थी)

आदेश दिनांक- 28.07.2022

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, बारां ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के विवादित आराजी ख0नं0 341 रकबा 0.70 है., किस्म नहरी 1 वाके ग्राम कोटड़ा तहसील-बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015-24 में मूल खसरा नंबर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से दिनांक 26.05.1969 को 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी अप्रार्थी को आवंटन हुई थी। जिस समय उक्त आराजी अप्रार्थी को आवंटित हुई उस समय आराजी की किस्म गै मु. तलाई थी जो आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जयें अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा। अतः जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया।



न्यायालय
बारां (राज०)

3- बहस के स्तर पर प्रकरण दिनांक 27.10.2016 से जैरकार है इतने अधिक समय तक बहस हेतु विचाराधीन रहने पर भी अभिभाषक अप्रार्थी निरन्तर बहस हेतु समय चाहते रहे।

4- दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित रहने पर हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाप्त कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

5- हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम कोटड़ा की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015-24 में साबिक खसरा नंबर 285 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई का दिनांक 26.05.1969 को अप्रार्थी को आवंटन किया जाकर किस्म बंजड़ दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 341 रकबा 0.70 है। किस्म नहरी 1 बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई हैं, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6- हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015-2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नंबर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी का दिनांक 26.05.1969 को अप्रार्थी को आवंटन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट जमाबन्दी संवत् 2038-57 खसरा नंबर 341 रकबा 0.70 है। किस्म नहरी 1 अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गई, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरुद्ध हुआ है।



जिला कलक्टर
बारां (राज.)

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी सतीशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ को आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई के बाद सेटलमेंट संवत 2038-57 नये खसरा नम्बर 341 रकबा 0.70 है. किस्म नहरी 1 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरुद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8- परिणामस्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, बारां का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम कोटड़ा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 0.70 है. किस्म नहरी 1, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी सतीशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9- तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
धारा (राज०)